IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– /वा0नि0–5/ वृ0यो0-2015/139 दिनांक– / /2015

8B/GH-5 व 6

सेवा में,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन,
साउथ हटमेन्ट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग,
नई दिल्ली।

विषयः–ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–8B/ जी0एच0– 5 व 6 वृन्दावन योजना, लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष देय शुल्क/औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु मांग–पत्र निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–8B/ जी0एच0– 5 एवं 6 वृन्दावन योजना, लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन इस कार्यालय में किया गया था जिसे परीक्षणोंपरान्त आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष दिनांक 16–9–2015 को सम्पन्न बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसपर समिति द्वारा कतिपय शर्तो सहित मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसके अनुपालन में सूचित कराना है कि निम्नांकित देय शुल्क एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करायें ताकि तद्नुसार अनुमोदित मानचित्र निर्गत करने सम्बंधी कार्यवाही की जा सके :–

1. प्रस्तावित मानचित्रों पर भू–स्वामी/वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार कराने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर व भूकम्परोधी होने का प्रमाण पत्र सहित 04 सेट मानचित्र प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन व स्ट्रक्चरल कैलकुशन के 04 सैट जिसे विधिवत भू–स्वामी/वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार कराने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर सहित आई0आई0टी0 रूड़की/किसी निर्दिष्ट तकनीकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष से प्रति हस्ताक्षारित कराकर प्रस्तुत करें।
3. उपविधि के परिशिष्ट–7,8,9 व 10 जिसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा तैयार कराकर विधिवत आई0आई0टी0 रूड़की/निर्दिष्ट संस्थान के प्रोफेसर से वैटिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जिनमें आवंटी, आर्किटैक्ट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मोहर सहित हस्ताक्षरित हों के 04 सैट प्रस्तुत करें।
4. भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु आवश्यक पर्यावरण निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को विलम्बतम 06 माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना होगा अन्यथा की स्थिति नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. उप आवास आयुक्त–सम्पत्ति प्रबन्ध, वृन्दावन योजना लखनऊ से प्रश्नगत भूखण्डों के मद में अध्यावधिक भुगतान का विवरण/प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।